में जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट सैंथली)

पीठासीन अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस

मुकदमा नं0 3/ 1108 / 15 | निर्णय दिनांक : 03.06.2016

उनवान

1. चिम्मन पुत्र हीरा लाल जाति चमार निवासी ग्राम बामनी खेडा तह0 रामगढ जिला अलवर।

..............................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ।

............अप्रार्थी

(अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट)

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 एलआरएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 624 रकबा 0.65 हैक्ट0 वाके ग्राम बामनी खेडा तह0 रामगढ जिला अलवर की पैमाईश, पत्थरगढी व निशानदेही करने हेतु अप्रार्थी को आदेश जारी किया जावे।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सैंथली में दिनांक 03.06.2016 को पेश हुई। पत्रावली का राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सैंथली में अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं पैमाईश रिपोर्ट की छायाप्रति दिनांक 15.07.13 के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र 128 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 624 रकबा 0.65 हैक्ट0 वाके ग्राम बामनी खेडा तहसील रामगढ जिला अलवर की पत्थरगढी नियमानुसार कराना सुनिश्चित करें। तहसीलदार रामगढ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत सैंथली में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)